Annexure - LII

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

पत्रांक : 1018 / 56 / उ.सू.आ. / 2007 दिनांक : 5 / 3 / 2007

प्रिय,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग अपने द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन को शासन के माध्यम से विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु विलम्बतम 30 अप्रैल, 2007 तक प्रेषित करना चाहता है.

2. आयोग द्वारा अपने प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को शासन को दिनांक 14 सितम्बर 2006 को इस आशय से प्रेषित किया गया था कि वह उसको परीक्षण के उपरांत विधान सभा के अगले अधिवेशन में अपने स्तर पर आयोग की संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन के साथ पटल पर, जैसा अधिनियम की धारा 25 द्वारा अपेक्षित है, प्रस्तुत कर दें आयोग के दूसरे प्रतिवेदन में राज्य सरकार द्वारा आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर की गयी कार्यवाही पर भी टिप्पणी दी जानी प्रस्तावित है। अनुरोध है कि इस संबंध में शासन स्तर पर जो कार्यवाही की गयी हो उसे आयोग को विलम्बतम 15 अप्रैल 2007 तक अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे इसे आयोग के दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जा सके.

3. आयोग के द्वारा 15 अप्रैल 2007 तक उपरोक्त आशय की टिप्पणी की प्रतीक्षा की जायेगी और उक्त तिथि तक कोई टिप्पणी प्राप्त न होने पर उसका तदानुसार उल्लेख आयोग के दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन में किया जाना प्रस्तावित है।

4. मैं इस पत्र की प्रति श्री एस.राजू, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को इस आशय से पृष्ठांकित कर रहा हूँ कि वह आपको इस पत्र पर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराते हुए यथा समय अनुस्मरण भी करा दें।

भवनिष्ठ,

(आर.एस. टोलिया)

श्री एस.के. दास
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन

प्रिय

उपरोक्त पत्र की प्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित कर रहा हूँ।

भवनिष्ठ,

(आर.एस. टोलिया)

श्री एस.राजू
सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
उत्तराखण्ड शासन